

SHRI BINOY VISWAM: Sir, the Kashmir Chamber of Commerce and Industry has recently come out with a statement saying that after the abrogation of Article 370, there is a loss of more than about ₹ 10,000 crores. What is the response of the Government to that statement? Is the Government correct or they are correct?

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, obviously any such statement is often made in the heat of the moment and I have myself been associated with many Chambers of Commerce for so many years. I don't think any of them have any scientific or any proper methodology by which they would have made that assessment and I have no way of either verifying or validating the statement made by the Chamber.

SHRI BINOY VISWAM: Sir, in the answer, the Minister has stated that the people of this region were denied full right enshrined in the Constitution of India and other benefits of various Central laws. I would like to ask the Minister which are those rights denied for the people.

MR. CHAIRMAN: The issue is about the financial implication of business.

SHRI BINOY VISWAM: Yes, Sir, but the statement is by the Minister.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I will just mention one thing relevant to this question about rights. There are very many rights, including the right to reservation which was not available to the people of Jammu and Kashmir prior to the abrogation of Articles 370 and 35A. While, I think, there are many other rights related to the industry, we could not have companies from the rest of India outside Kashmir coming in or even from foreign countries to come in, invest there, help create new jobs, help generate new economic activity, which we hope that in the days and years to come, we will all have a lot of Indians, a lot of promoters, entrepreneurs going to Kashmir, investing there, helping tourism to grow there, creating new jobs, creating new economic activity.

MR. CHAIRMAN: Q.No. 134. Shri Harnath Singh Yadav.

पराली जलाने का भूमि की उर्वरता पर प्रभाव

†*134. श्री हरनाथ सिंह यादव: क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पराली जलाने से किसानों के खेतों की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है;

†Original notice of the question was received in Hindi.

(ख) यदि हां, तो क्या पराली के निस्तारण के लिए कोई वैकल्पिक योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परशोत्तम रुपाला): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) धान की पराली मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के गंगा के मैदानी क्षेत्रों में रबी फसल की बुवाई के लिए खेत खाली करने हेतु जलाए जाने की प्रथा है। यह अनुमान लगाया गया है कि एक टन धान की पराली में लगभग 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन(N), 2.3 किलोग्राम फॉस्फोरस पेंटाक्साइड (P₂O₅), 25 किलोग्राम पोटेशियम ऑक्साइड (K₂O), 1.2 किलोग्राम सल्फर (S), धान के पौधों द्वारा 50-70% सूक्ष्म पोषक तत्व अवशोषित और 400 किलोग्राम कार्बन होते हैं, जो धान की पराली को जलाने के कारण नष्ट हो जाते हैं। पोषक तत्वों की हानि के अलावा, मिट्टी के तापमान, पीएच, नमी, उपलब्ध फास्फोरस और मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ जैसे मिट्टी के कुछ गुण जो मिट्टी की सूक्ष्मजीव आबादी को नियंत्रित करते हैं, जलने के कारण बुरी तरह काफी प्रभावित होते हैं।

वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान और स्थान पर ही फसल अवशिष्ट के प्रबंधन के लिए अपेक्षित मशीनरी के लिए राजसहायता देने हेतु वर्ष 2018-19 से 2019-20 की अवधि के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशिष्ट का स्थान पर ही प्रबंधन करने के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के संबंध में एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, 1151.80 करोड़ रुपए के केंद्रीय निधि से कार्यान्वित की जा रही है।

वर्ष 2018, 2019 और 2019-20 के दौरान उपर्युक्त योजना के अंतर्गत निम्नानुसार धनराशि जारी की गई है।

राज्य/संस्था	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपये)	
	2018-19	2019-20
पंजाब	269.38	273.80
हरियाणा	137.84	192.06
उत्तर प्रदेश	148.60	105.28
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0	4.52
आईसीएआर एवं अन्य केन्द्रीय संस्था	28.51	18.48
कुल	584.33	594.14

इन निधियों में से, राज्य सरकारों ने वर्ष 2018-19 के दौरान राजसहायता से फसल अवशेष के स्वस्थान पर प्रबंधन के लिए संबंधित किसानों और कस्टम हायरिंग केंद्रों को 56290 से अधिक मशीनों की आपूर्ति की है। वर्ष 2019-20 के दौरान, अब तक 32808 से अधिक मशीनों की आपूर्ति की गई है। राज्य सरकारों और कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) ने भी किसानों में जागरूकता सृजन के लिए बड़े पैमाने पर सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के कार्यक्रमलाप शुरू किया है।

Effect of stubble burning on fertility of land

†* 134. SHRI HARNATH SINGH YADAV: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether the fertile capacity of the farmland of farmers gets destroyed due to stubble burning;

(b) if so, whether any alternative scheme for the disposal of stubble is under consideration of Government; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE (SHRI PARSHOTTAM RUPALA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Paddy stubble burning is mainly practiced in Indo-gangetic plains of the States of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh to clear the fields for Rabi crop sowing. It has been estimated that one ton of paddy straw contains approximately 5.5 kg Nitrogen (N), 2.3 kg Phosphorus pentoxide (P₂O₅), 25 kg Potassium Oxide (K₂O), 1.2 kg Sulphur (S), 50-70% of micro-nutrients absorbed by rice and 400 kg of carbon, which are lost due to burning of paddy straw. Apart from the loss of nutrients, some of the soil properties like soil temperature, pH, moisture, available phosphorus and soil organic matter, which also govern microbial population of soil, are greatly affected due to burning.

To address air pollution and to subsidize machinery required for in-situ management of crop residue, a Central Sector Scheme on 'Promotion of Agricultural Mechanization

†Original notice of the question was received in Hindi.

for In-Situ Management of Crop Residue in the States of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and NCT of Delhi' for the period from 2018-19 to 2019-20 is being implemented with the total outgo from the Central funds of ₹ 1151.80 crores.

During the year 2018-19 and 2019-20, the funds released under the aforementioned scheme are:

State/Agency	Funds Released (₹ in Crores)	
	2018-19	2019-20
Punjab	269.38	273.80
Haryana	137.84	192.06
Uttar Pradesh	148.60	105.28
NCT of Delhi	0	4.52
ICAR and other Central Agencies	28.51	18.48
TOTAL	584.33	594.14

Out of these funds, the State Governments during 2018-19 have supplied more than 56290 machines to the individual farmers and Custom Hiring Centres on subsidy for in-situ management of crop residue. During 2019-20, more than 32808 machines have been supplied so far. The State Governments and Krishi Vigyan Kendras (KVKs) have also undertaken Information, Education and Communication (IEC) activities on a massive scale for creating awareness among farmers.

श्री हरनाथ सिंह यादव: माननीय सभापति जी, पराली जलाने के आरोप में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में किसानों को जेल भेजा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या प्रदूषण बढ़ाने वाले बड़े कारखानेदार तथा अन्य प्रदूषणवर्धकों को भी जेल भेजा गया है? यदि नहीं, तो केवल किसानों के खिलाफ यह जेल भेजने की कार्रवाई क्यों की गई है?

श्री परशोत्तम रुपाला: माननीय सभापति जी, यह जो सवाल है, इस विषय पर इस सत्र में आपकी अनुमति से बहुत ही विस्तार से चर्चा भी हुई है और इस पर बड़ा संज्ञान भी लिया गया है। माननीय सदस्य जी ने जो पूछा है और जानना चाहा है कि बड़े उद्योगों पर क्या कानूनी कार्रवाई की गई है, यह मेरे विभाग से जुड़ी हुई बात नहीं है। पराली जलाने के बजाय किसान इसका अच्छी तरह से खेत में ही इस्तेमाल करे, इसके लिए हमारी योजनाएं चल रही हैं। हम इसके लिए मशीन की सहायता दे रहे हैं, किसानों को टेक्नोलॉजी से अवगत करा रहे हैं। सिर्फ

दिल्ली के आसपास ही नहीं, जहां भी किसान को इस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता हो, उसे देने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य का सब्जेक्ट होने की वजह से मैं राज्य सरकारों के द्वारा लिए गए कदमों के बारे में यहां पर कहूं, तो यह ठीक नहीं है।

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या किसानों को पराली प्रबंधन से होने वाली हानि के लिए सरकार किसानों को विशेष आर्थिक क्षतिपूर्ति करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है?

श्री परशोत्तम रुपाला: सीधे आर्थिक सहायता देने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को अवगत कराना चाहता हूं कि कोर्ट के ऑर्डर से राज्य सरकारों को उन्होंने निर्देश दिए हैं, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारों को निर्देश दिए गए हैं और प्रति टन 100 रुपये किसानों को मुहैया कराने का हुक्म दिया गया है। कोर्ट में अभी भी कुछ बातों पर उनकी hearing चल रही है, तो यह काम आगे चलकर कुछ आगे बढ़ेगा। हमारे विभाग द्वारा इसमें दो साल तक जो योजना चलाई गई, इसमें 1,151 करोड़ रुपये की राशि की मशीनें किसानों को देने का कार्यक्रम पूरा हो गया है। उसकी अवधि भी समाप्त हो गई है। अभी एक बैठक हमारे आईसीएआर के सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हो गई है। अब आगे के लिए एक कमेटी बनाकर नई योजना बन रही है, इसमें किसी के सुझाव प्राप्त होंगे, तो उनको शामिल करके आगे की योजना हम प्रस्तुत करेंगे।

श्री संजय सिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पराली काटने की मशीनें अलग-अलग राज्यों में किसानों को आपने उपलब्ध करानी थी। हम लोगों को माननीय पर्यावरण मंत्री जी का उत्तर सदन के पटल पर मिला था, उसमें उन्होंने बताया कि 55,000 मशीनें तीन राज्यों के किसानों को दी गई हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया गया है, उसमें बताया गया है कि मात्र 20,000 मशीनें किसानों को अलग-अलग राज्यों में दी गई हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से मशीनों की सही संख्या जानना चाहता हूं?

श्री परशोत्तम रुपाला: सभापति महोदय, यह जो संख्या की विसंगति है, यह माननीय सदस्य को कौन-सी स्टेटमेंट में मिली है, उसके बारे में मैं माननीय सदस्य से जानकारी लेकर ही बता पाऊंगा। हमारे डिपार्टमेंट की जो फिगर है, वह 55,000 मशीनों की है और वह परफैक्ट फिगर है। हमने इतनी ही मशीनों की जानकारी दी है, वह आपके दिल्ली स्टेट को भी दी है और उसको भी मशीनें बांटने के लिए कहा है, मगर दिल्ली स्टेट का प्रबंधन ठीक से नहीं हुआ है, तो आपसे मेरी विनती है कि आप अपनी राज्य सरकार को कहें कि जो दिल्ली के किसान हैं, उनको भी उन मशीनों का लाभ देने का प्रयास करें।

श्री संजय सिंह: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: उन्होंने सुझाव ही दिया है, कोई आरोप नहीं लगाया है। आप चिंता मत करिए।

श्री राकेश सिन्हा: सभापति महोदय, सामान्यतः किसान पर्यावरण फ्रेंडली होता है, लेकिन पराली का एक विशेष मुद्दा है। मुझे सरकार से इतना ही कहना है कि जब पराली जलाई जाती है, तो हाहाकार मचता है कि पर्यावरण दूषित हो रहा है। क्या सरकार इसका कोई फ्युचरिस्टिक प्लान बना रही है? जब अगले साल पराली की स्थिति आएगी, तो सरकार क्या कदम उठाएगी? जब ऐसी स्थिति आती है, तब ही क्यों राज्य सरकार या केन्द्र सरकार जगती है, तो इसके लिए सरकार के पास क्या फ्यूचर प्लान है?

श्री परशोत्तम रुपाला: सभापति महोदय, यही मैंने पहले सवाल के जवाब में बताया था कि अभी एक नई समिति का गठन किया गया है, जो एक नई योजना बनाएगी कि भारत सरकार की ओर से इस विषय में क्या किया जाए। उसको एक-दो महीने के अंदर ही हम आप सके संज्ञान में लाएंगे। मगर यह पराली जलाने का जो काम चल रहा है, वह वैसे तो हमारी कृषि प्रैक्टिस के साथ जुड़ा हुआ है। किसानों की जो समस्या है, उसके बारे में हमारे पंजाब के सदस्य बता रहे थे। नॉन बासमती राइस की जो पेडी है, उसके बाद फसल लगाने के लिए टाइम नहीं रहता है, इसके लिए पराली को किसान जला देता है। उसको पराली जलाने में कोई आनंद नहीं आ रहा है। इसीलिए हम इनको इस प्रकार के diversification की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कम अवधि की फसल पैदा करने की शिक्षा देकर इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

लेफ्टीनेंट जनरल (डा.) डी.पी. वत्स (सेवानिवृत्त): सभापति महोदय, पराली जलाने के बारे में, मैं एक बात माननीय मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूँ। लोगों की ऐसी धारणा है कि पराली जलाने से जो हार्मफुल कीड़े हैं, वे मर जाते हैं और उनको बिजाई के लिए साफ जमीन मिलती है। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसके बारे में बड़ी कम्प्रेहेंसिव स्कीम के साथ आई है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा यूनिवर्सिटी किसानों को मशीनें प्रोवाइड कराते हैं, वे पराली का इस्तेमाल भी करते हैं और किसानों को एजुकेट भी करते हैं।

श्री सभापति: सवाल पृष्ठिए।

लेफ्टीनेंट जनरल (डा.) डी.पी. वत्स (सेवानिवृत्त): सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल यह है कि किसानों की इस धारणा को रिमूव करने के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से क्या कार्रवाई की गई है?

श्री परशोत्तम रुपाला: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बता रहे हैं कि किसानों में यह धारणा है कि पराली जला देने से जो उनके दुश्मन कीटक होंगे, वे मर जाएंगे। मैं नहीं मानता हूँ कि किसानों में ऐसी धारणा है। मगर किसानों में यह धारणा है, तो इसको निर्मूल करने के लिए इसके अवेयरनेस के प्रोग्राम सरकार की ओर से चलाए जाएंगे और

सभी मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार किया जाएगा। पराली को जला देने से जो मित्र कीटक हैं, वे भी मर जाते हैं और जमीन में जो तत्व होते हैं, उन तत्वों को भी टेम्परेचर की वजह से नुकसान होता है - जो फसल के लिए पोषक तत्व होते हैं, उनका भी नुकसान होता है।

MR. CHAIRMAN: Q.No. 135.

Exorbitant prices of organic fertilizers

*135. SARDAR BALWINDER SINGH BHUNDER: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

- (a) the advantages of organic fertilizer in comparison with inorganic fertilizer;
- (b) whether Government is aware that many organic fertilizers are sold at exorbitant prices in the market;
- (c) if so, whether Government has taken any measures to control the price and manufacturing of organic fertilizers in the country; and
- (d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI PARSHOTTAM RUPALA): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Organic fertilizers are the source of organic carbon besides nutrients which is vital for maintaining and enhancing soil fertility. Organic fertilizers have been tested scientifically in ICAR/Institutions and SAUs on various crops and soil types and found suitable for improving soil health and productivity. The Organic fertilizers may supplement costly chemical fertilizers (N.P) by nearly 20-25%. The advantages of organic fertilizers over chemical fertilizers are (1) Improve soil structure leading to increased water holding capacity (2) eco-friendly and reduce water pollution (3) provide nutrients for maintaining soil fertility but also improve soil physical and biological health *vis-a-vis* crop productivity. They also help in minimizing human and animal hazards during application reducing the level of residues in the agriculture produce.

(b) to (d) No such reports have been brought to the notice of the Government.